—:: आम आदमी बीमा योजना ::—

भारत सरकार मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से आम आदमी बीमा योजना दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ की गई है।

❖ हितग्राहियो के लिये निर्धारित मापदण्ड :—

1— केवल भूमिही ग्रामीण मजदूर जो योजनान्तर्गत बीमित सदस्य,

2— हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक होगी।

3— योजनान्तर्गत बीमा सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।

❖ हितग्राही को प्राप्त होने वाले लाभ :—

अ— योजनांतर्गत बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर लाभ का प्रावधान है।

ब— योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति को एक मुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगी:—

1— सामान्य मृत्यु होने पर — रू. 30,000/— (रूपये तीस हजार केवल)

2— दुर्घटना में मृत्यु होने पर — रू. 75,000/—(रूपये पचहत्तर हजार केवल)

(अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता होने पर)

3— दुर्घटना में एक आंख या — रू. 37,500/—(रूपये सैतीस हजार पांच सौ केवल)

(एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर)